(एम) अपीले, पुनरीक्षण तथा पुनर्विलोकन

[धारा 62 (2) (ग)]

1 अधिनियम की धारा 62 के अर्न्तगत, राजस्व की बकाया के रूप मे राज्य शुल्क की वसूली संबधी कार्यवाहियो मे राजस्व अधिकारी के प्रत्येक निर्णय या आदेश के विरूद्ध अपील उसी इलाके के उस अधिकारी को होगी जिसको राजस्व कानून के अर्न्तगत अपील होती है ।

2 सभी मूल आदेश या अपीलीय आदेश के **विरूद्ध अपील** :–

(अ) जब कलेक्टर के अधीनस्थ अधिकारी द्वारा निर्णय या आदेश पारित किया जाता है तो कलेक्टर को होगी।

(ब) जब कलेक्टर द्वारा आदेश परित किया जाता है तो आबकारी आयुक्त को होगी ।

(स) जब आबकारी आयुक्त द्वारा आदेश या निर्णय पारित किया जाता है तो मुख्य राजस्व अधिकारी को होगी।

3 **निम्नलिखित के विरूद्ध कोई अपील नही होगी** :–

1 पुनरीक्षण के लिये किसी आवेदन को नामंजूर करने वाला कोई आदेश ।

2 किसी अनुज्ञप्ति को निलंबित करने वाला कोई आदेश ।

3 कोई ऐसा आदेश जो पूर्णतः प्रशासनिक प्रकार का हो ।

4 **अपील की कालावधि और आपत्ति किये गये आदेश की प्रति याचिका के साथ संलग्र होगी** :– प्रत्येक अपील की याचिका, निर्णय या आदेश जिसके विरूद्ध अपील की जा रही है उस निर्णय या आदेश के दिनांक से तीस दिनो के अन्दर प्रस्तुत की जाएगी, एवं आदेश प्रमाणित प्रति संलग्न की जाएगी।

5 **अपीलीय अधिकारी की शक्तियॉ** :– अपीलीय अधिकारी चाहे तो अपील को ग्रहण करे या अभिलेख बुलाए जाने के बाद और अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिए जाने के बाद उसे संक्षेपतः खारिज कर दे ।

6 **आदेश के निष्पादन को स्थगन करने की शक्ति** :– यदि कोई अपील ग्रहण कर ली जाती है तो अपीलीय अधिकारी निर्देश दे सकता है कि अपील के परिणाम तक की लम्बित अवस्था मे जिस आदेश के विरूद्ध अपील हुई है उस आदेश का निष्पादन रोक दिया जाए।

7 **वरिष्ठ अधिकारियो की पुनरीक्षण की शक्ति** :– मुख्य राजस्व अधिकारी या आबकारी आयुक्त या कलेक्टर चाहे स्वयमेव या किसी व्यक्ति या हित रखने वाले पक्षकार के आवेदन पत्र पर उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा किए गए किसी निर्णय या पारित किए गए आदेश या समक्ष लंबित मामले के अभिलेख को बुलावा सकता है परीक्षण कर सकता है या ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे ।

8 **पुनरीक्षण के लिये आवेदन** :– पुनरीक्षण के लिए आवेदन पैंतालिस दिन के भीतर तथा उसी रीति मे, जिसमे अपील की याचिका प्रस्तुत की जाती, पेश किया जाएगा है ।

8 **(क)आदेशो का पुनर्विलोकन** :– राजस्व मण्डल छ.ग. आबकारी आयुक्त तथा कलेक्टर या तो स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर किसी आदेश का, जो उसके द्वारा अथवा उसके पद–पुर्ववर्तियो मे से किसी पद–पूर्ववती द्वारा पारित किया गया हो पुनर्विलोकन कर सकेगा और उसके संबंध मे ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा कि उचित समझे ।

9 **सन 1908 के अधिनियम कमांक 9 का लागू होना** :– इन नियमो के अर्न्तगत की गई सभी अपीलो और पुनरीक्षण के लिए आवेदन पत्रो को भारतीय कालसीमा अधिनियम, 1908 लागू होगा ।

10 राज्य शासन, आबकारी आयुक्त या कलेक्टर के पास से किसी अपील या पुनरीक्षण के लिए आवेदन पत्र को

अधिनियम धारा 7 स के अर्न्तगत कोई अपील या आवेदन पत्र निवर्तन के लिये सम्यक् रूप से नियुक्त किसी

अन्य अधिकारी को स्थानांतरित कर सकता है ।